(3)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –50/2019 (Bank Case)

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड ऑफिस–एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापती बपत मार्ग, लोवेर परेल (पश्चिम) मुम्बई तथा बैंक विशेष कार्य विभाग–द्वितीय तल, इंडियन एक्प्रेस बिल्डिंग बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ नई दिल्ली–110002 जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेरक भार्गव जरिये प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी बैंक.

बनाम

1. विजय पाल चौरसिया पुत्र चौथी राम चौरसिया निवासी–1 एफ 10, संजय गांधी नगर विज्ञान नगर मस्जिद के पास, कोटा 324005,
   अन्य पता– प्रोपराइटर मैसर्स बाबा इंजीनियर्स एण्ड फैब्रिकेटर्स, 1–एफ–10 संजय गॉधी नगर विज्ञान नगर मस्जिद के पास कोटा 324005
   (ऋणी व मोर्गेजर)
2. किरण चौरसिया पत्नि विजय पाल चौरसिया निवासी–1–एफ–10, संजय गॉधी नगर, विज्ञान नगर मस्जिद के पास, कोटा 324005
   (सहऋणी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

उपस्थित

1. श्री सौरभ सुमन, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांकः 14.05.2019

प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड ऑफिस–एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापती बपत मार्ग, लोवेर परेल (पश्चिम) मुम्बई तथा बैंक विशेष कार्य विभाग–द्वितीय तल, इंडियन एक्प्रेस बिल्डिंग बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ नई दिल्ली–110002 जरिये प्रेरक भार्गव प्राधिकृत अधिकारी है ।

अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने प्रार्थी बैंक से जर्ये ऋण करार संख्या 1678020000491 दिनांक 05.02.2013 को 42,00,000/– (अक्षरेः रूपये बंयालिस लाख मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी नं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 31.08.2012 से विजयपाल चौरसिया पुत्र चौथीराम चौरसिया के नाम मकान सं0 1–एफ–10 संजय गांधी नगर, मस्जिद चौराहा कोटा जिसका क्षैत्रफल 82.81 वर्गगज है । जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में अन्य का मकान, पश्चिम में रोड, उत्तर में पप्पूलाल का घर, दक्षिण में रामजानी का घर स्थित है ।**
एवं जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.10.2011 से प्लॉट नं0 600, आनन्दपुरा कोटा क्षैत्रफल 1888.38 वर्गफुट है, विजयपाल चौरसिया पुत्र चोथीराम चौरसिया के नाम है, जिसकी चतुःसीमाएं पूर्व में प्लॉट नं0 593, पश्चिम में 24.4 मीटर चौडी रोड, उत्तर में प्लॉट नं0 601, दक्षिण में प्लॉट नं0 599, स्थित है जो विजयपाल चौरसिया पुत्र चोथीराम चौरसिया के नाम है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक

Scanned by CamScanner

(५)

29.07.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 1956849/– रूपये (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख छप्पन हजार आठ सौ उन्चास रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 17.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 26.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के** बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 26.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये,नोटिस प्राप्ति के** बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 26.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के** पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है **अचल सम्पत्ति रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 31.08.2012 से विजयपाल चौरसिया पुत्र चौथीराम चौरसिया के नाम मकान सं0 1–एफ–10 संजय गांधी नगर, मस्जिद चौराहा कोटा जिसका क्षैत्रफल 82.81 वर्गगज है । जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में अन्य का मकान, पश्चिम में रोड, उत्तर में पप्पूलाल का घर, दक्षिण में रामजानी का घर स्थित है । एवं जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 6.10.2011 से प्लॉट नं0 600, आनन्दपुरा कोटा क्षैत्रफल 1888.38 वर्गफुट है, विजयपाल चौरसिया पुत्र चोथीराम चौरसिया के नाम है, जिसकी चतुःसीमाएं पूर्व में प्लॉट नं0 593, पश्चिम में 24.4 मीटर चौडी रोड, उत्तर में प्लॉट नं0 601, दक्षिण में प्लॉट नं0 599, स्थित है जो विजयपाल चौरसिया पुत्र चोथीराम चौरसिया के नाम है,**का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner